भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3047

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2022

कल्याणकारी योजनाएं

3047. श्री डी. के. सुरेश:
श्री धर्मेन्द्र कश्यपः
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2016 से अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की कुल संख्या का राज्यासंघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित की गई निधि और उसके उपयोग का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना में लाभार्थियों की कुल संख्या का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आवंटन बढ़ाने के लिए कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक व्यापक योजनाएं तैयार करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे सहित उसके उद्देश्य के लिए आवंटित निधि कितनी है और इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): सरकार ने अल्पसंख्यकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आदि जैसी विभिन्न

योजनाओं को लागू किया हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देशभर में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को भी लागू करता है। मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(क): शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (2008-09 से प्रभावी)- यह छात्रवृत्ति कक्षा I से X में पढ़ रहे ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रु. से अधिक नहीं है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (2007-08)- यह छात्रवृत्ति कक्षा XI से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक नहीं है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना (2007-08)- यह छात्रवृत्ति स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं है। 30% छात्रवृत्ति छात्रों के लिए निर्धारित है।

तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध हैं और छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से वितरित की जाती है।

(4) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान- (2009-10 से प्रभावी)- योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने UGC-NET या संयुक्त CSIR UGCNET परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रु. से अधिक नहीं है। 30% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(5) पढ़ो परदेश (2013-14 से प्रभावी) - योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रु. से अधिक नहीं है। 35% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(6) नया सवेरा - नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (2006-07 से प्रभावी) -योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों/अभ्यर्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है। तकनीकी/चिकित्सा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए 30% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं।

(7) नई उड़ान (2013-14 से प्रभावी) - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (PSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रु. से अधिक नहीं है।

(8) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 1 अप्रैल, 2021 से स्थानांतरित कर दिया गया है। SPEMM में दो योजनाएं शामिल हैं, नामत: (i) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM) और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (IDMI)।

(ख): रोजगारोन्मुख योजनाएं:

(9) सीखो और कमाओ: 14-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा इसका उद्देश्य मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रापआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करते हुए रोजगार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(10) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण):- अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों को स्वरोजगार, बाजार तथा अवसर प्रदान करने का एक प्रभावशाली मंच। शिल्पकारों/कारीगरों को रोजगार के अवसर व बाजार उपलब्ध कराने हेतु देशभर में हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है।

(11) नई मंजिल- स्कूल ड्रापआउट या मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षितों को औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने हेतु योजना।

(12) नई रोशनी - अल्पसंख्यक समुदायों तथा गैर-अल्पसंख्यक समुदायों (प्रत्येक बैच के 25% से अधिक नहीं) की महिलाओं में नेतृत्व विकास करना।

(ग): अवसंरचना विकास योजना:

(13) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) - एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अभिज्ञात क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं।

(घ) विशेष योजनाएं:

(14) जियो पारसी - भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(15) हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(16) (i) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) (2017-18 से प्रभावी) - इस योजना का उद्देश्य रिकॉर्ड रखने को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण में मदद करना है।

(ii) शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY) (2017-18 से प्रभावी) - इस योजना के तहत देश में विभिन्न वक्फ बोर्डों (WB)/वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवन जैसे वाणिज्यिक परिसर, विवाह हॉल, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

(17) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) शिक्षा और कौशल संबंधित निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:- (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (ख) शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवसंरचना विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

(18) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) को अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वरोजगार, आय सृजन करने वाले कदमों और सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए इक्विटी।

क्रम संख्या (1) से (16) में उल्लिखित योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध है और क्रम संख्या (17) और (18) पर वर्णित विवरण क्रमशः एमएईएफ (www.maef.nic.in) और एनएमडीएफसी (www.nmdfc.org) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): 2016-17 से 2021-22 तक आबंटित निधियों (आरई), किए गए व्यय और लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध I और II में हैं।

(घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बजटीय आवंटन का समय-समय पर आकलन किया जाता है और तदनुसार योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार आवंटन किया जाता है। 2014-15 से 2022-23 तक, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत आवंटन 3711.00 करोड़ रु. से 5020.50 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) से (छ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिया गया है। मेरिट-सह-साधन योजना के तहत, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों सहित व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने

के लिए ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत, छात्राओं के लिए 30% छात्रवृत्ति निर्धारित की जाती है। योजना में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2014-15 से 2021-22 तक, देश भर में 10,02,072 छात्रों को मेरिट-सह-साधन योजना के तहत ₹ 2690.17 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नया सवेरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को तकनीकी/चिकित्सा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। 2014-15 से योजना के तहत 74,684 छात्र/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

*****

अनुबंध-I

"कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3047 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिनांक 4.8.2022 को उत्तर के लिए संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए निधि आवंटन (संशोधित अनुमान) और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम/ कार्यक्रम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		आरई	व्यय	आरई	व्यय	आरई	व्यय	आरई	व्यय	आरई	व्यय	आरई	व्यय
	शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं												
1	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	931.00	585.94	1001.15	1108.13	1269.00	1176.20	1199.82	1324.85	1330.00	1325.54	1378.00	1350.99
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	550.00	287.11	561.29	479.72	500.00	354.90	482.66	428.77	535.00	512.81	468.00	411.87
3	मेरिट-सह-साधन	395.00	220.54	393.54	388.79	402.00	261.17	361.51	285.63	400.00	396.34	325.00	345.77
4	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	120.00	119.92	150.00	124.87	153.00	97.85	130.00	100.00	100.00	73.50	99.00	74.00
5	पढ़ो परदेश	5.32	4.00	17.00	17.00	45.00	45.00	25.00	14.43	22.00	20.19	24.00	22.15
6	नया सवेरा	40.00	40.00	48.00	45.59	74.00	44.61	40.00	13.97	25.00	18.44	39.35	37.15
7	नई उड़ान	4.30	4.00	6.00	6.18	8.00	6.72	10.00	8.01	8.00	4.15	6.00	7.97
	आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं												
8	सीखो और कमाओ	210.00	204.94	200.00	199.80	250.00	175.73	250.00	175.52	190.00	190.03	250.00	268.48
9	उस्ताद	20.00	19.77	29.00	21.80	50.00	31.26	60.00	54.48	60.00	56.74	47.00	73.68
10	नई मंजिल	120.00	117.97	95.39	93.73	120.00	93.73	100.00	34.44	60.00	59.84	47.00	48.86
11	नई रोशनी	15.00	14.75	17.00	15.19	17.00	13.83	10.00	7.10	6.00	6.00	2.50	2.99

अवसंरचना विकास कार्यक्रम													
12	पीएमजेवीके	1059.00	1082.78	1200.00	1197.66	1319.99	1156.06	1588.86	1698.29	971.38	1091.94	1199.55	1266.87
अन्य योजनाएं													
13	जियो पारसी	1.55	1.54	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.86	4.00	4.00	3.00	5.00
14	हमारी धरोहर	8.00	6.60	12.00	0.64	6.00	1.64	3.00	0.70	5.20	4.55	2.00	1.66
15	एनएमडीएफसी की इक्विटी को योगदान	140.00	140.00	170.00	170.00	165.03	165.00	160.00	160.00	110.00	110.00	100.00	100.00
16	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान	114.00	113.00	113.01	113.00	123.76	36.00	90.00	37.50	80.00	70.92	76.00	76.00
17	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	13.00	10.13	12.70	10.58	16.94	11.89	15.00	11.83	9.00	0.10	10.00	6.72
18	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	2.80	2.80	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.00	3.00	2.00	1.00
19	एसपीईएमएम	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	174.00	161.53

*योजना को दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुबंध-II

"कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3047 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में 4.8.2022 को उत्तर के लिए संदर्भित अनुबंध।

2016-17 से 2021-22 तक लाभार्थियों का वर्षवार विवरण						
राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	4153524	5311257	5691854	5568025	5239964	5710789
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	624990	698069	684265	743141	663316	720093
मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	121937	119472	117771	118359	120371	131810
एम.फिल/पीएच.डी के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	756	756	1000	1251	608	1074
नि:शुल्क कोचिंग के लिए नया सवेरा योजना (लगभग)	8110	11862	10097	9580*	5300*	5090*
यूपीएससी/एसएससी/पीएससी परीक्षाओं में सहायता के लिए नई उड़ान योजना	858	1427	1182	1539	832	1641
विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के लिए पढो परदेश योजना	1781	1711	2495	3238	3656	4622
सीखो और कमाओ	57333	51123	102263	68756	41158	77660
उस्ताद	16200	-	6930	-	-	-
नई मंजिल	69840*	30140*	-	-	-	-
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	108588	129489	134862	136649	148856	160320
नई रोशनी	69125	47475	50600	26625	13675	-

*आवंटित अल्पसंख्यक छात्रों/उम्मीदवारों की संख्या